राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर फोन नं0 0141–2221812, ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक:राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक/Online/2021/ 213 दिनांक :– 31/3/2021

1. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

विषय:– पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन के संबंध मे दिशा–निर्देश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राजस्थान सरकार उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के पत्राक 33()बीआरएपी/डीआरपी/2019 दिनांक 16.09.2019 की अनुपालना में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एवं पेमेंट गेटवे ऑनलाईन कर दी गई है। इसके संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले समस्त रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण के आवेदन ऑनलाईन किये जाने हेतु दिनांक 27.03.2021 से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुभारम्भ किया गया। समस्त रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण के आवेदन दिनांक 01.04.2021 से ऑनलाइन ही प्राप्त किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु आपको दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है:

S.N.	Area	Sub-Area	please provide status of implementation /Compliance (Gov.order/Notification /Cirular or any other supporting document)
1	Miscellaneous	i. All necessary procedures and checklists to be published on the portal	No physical /manual application to be required by district authorities in addition to online application.
		ii. Timelines for delivery of service to be mandated through the Public Service Delivery Guarantee Act.	No physical copies of documents to be requested by district authority and documents uploaded with online application should be sufficient.
		iii.The procedure for application submission, payment of fees to be made online.	The application should be disposed of within the stipulated timeline.
		iv. The protal should allow applicant to track the status of the application.	District authorities should accept downloaded certificate as valid and should not require physically signed/stamped certificate to be obtained
		v.The applicant should be able to download the final	The applicant should not be required to get in touch with district authorities physically except

		certificate from the portal.	in cases where inspection/site visit is mandated by law.
		vi. There should be no requirement of any physical touch point between the applicant and the department/Agency.	No physical /manual application to be required by district authorities in addition to online application.

दिशा--निर्देश

1. पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकरण एवं नवीनीकरण चाहने वाले केन्द्रों से आवेदन मय आवेदन शुल्क मय दस्तावेज ऑफलाईन प्राप्त न किया जाकर सिर्फ ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायें।
2. पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया हेतु आवेदक द्वारा (https://pcpndt.raj.nic.in) पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण के समय पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर यूनिक आईडी प्राप्त होगी जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति भी प्राप्त कर सकता है।
4. आवेदक द्वारा (https://pcpndt.raj.nic.in) पर संलग्न दिशा–निर्देश का अवलोकन करते हुये पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिये फार्म–ए की ऑनलाईन प्रक्रिया की जाये।
5. संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त से आवेदन के 10 कार्यदिवस के अंदर केन्द्र का निरीक्षण किया जावे तथा पंजीकृत केन्द्र से शपथ–पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज का संग्रहण किया जावे तत्पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट वैबसाइट पर अपलोड की जाये।
6. संबंधित समुचित प्राधिकारी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन कर बैठक कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि साइट पर अपलोड की जाये।
7. संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा फार्म–एच जनरेट करने के पश्चात फार्म–बी का प्रिंट हस्ताक्षरित कर साईट पर अपलोड किया जायेगा जो आवेदनकर्ता (यूजर) के आईडी पर प्रदर्शित होगा तथा मूल प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदनकर्ता के पते पर भिजवायी जायेगी तथा पंजीकृत केन्द्रों द्वारा मशीन क्रय करने के पश्चात पुनः मशीन प्रविष्टि हेतु फार्म–बी संबंधित समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा पुनः फार्म–बी जारी करते हुये हस्ताक्षरित प्रति साईट पर अपलोड की जायेगी जो आवेदनकर्ता (यूजर) के आईडी पर प्रदर्शित होगा व मूल प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदनकर्ता को भिजवायी जायेगी।
8. आवेदनकर्ता द्वारा नवीनीकरण की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन यूजर की आईडी से किया जायेगा। आवेदन के शुल्क एवं दस्तावेज की ऑनलाईन प्रक्रिया पंजीकरण ऑनलाईन प्रक्रिया के समान रहेगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन राजस्थान।
4. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान (जरिये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)।
5. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
6. सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं अति० पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।